[illegible] 13.05.26

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

[illegible]न न्यायालय

[illegible]द संख्या 32 / 90/25

[illegible]म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	13.05.26	पत्रावली प्रस्तुत। व.पु.उप.। अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्राप्त हेतु दिनांक 20.05.26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	20.5.26	पत्रावली प्रस्तुत। व०पु०उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना–पत्र संख्या 90/2025 निर्णय दिनांक : 20.04.2026

1. कजोड़ पुत्र कानाराम उम्र 70 वर्ष जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
2. मुकुंदा पुत्र कानाराम उम्र 68 वर्ष जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
3. सीताराम पुत्र कानाराम उम्र 65 वर्ष जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र प्रभात यादव निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
2. हनुमान सहाय पुत्र प्रभात यादव निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
3. नाथू पुत्र प्रभात यादव निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
4. मंगल चंद्र पुत्र प्रभात यादव निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
5. मालीराम पुत्र हनुमान सहाय यादव निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
6. दिनेश पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
7. गणेश पुत्र नाथु यादव निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

8. लालचंद पुत्र श्योसहाय शर्मा निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
9. गौरीशंकर पुत्र कालूराम शर्मा निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
10. मुकेश पुत्र कालूराम शर्मा निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
11. महेश पुत्र कैलाश चंद्र शर्मा निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
12. रवि पुत्र कैलाश चंद्र शर्मा निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
13. मूलचंद पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
14. कमलेश पुत्र चौथमल शर्मा निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
15. राकेश पुत्र लालचंद शर्मा निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी तहसील कार्यालय रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
17. जिला कलेक्टर जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर बनीपार्क जयपुर।
18. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिए सचिव राम किशोर व्यास भवन जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– (1) श्री रामचन्द्र शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री मोहल लाल जाट – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 1 लगायत 15 ओर से
(3) श्री सतीष कुमार यादव – अधिवक्ता, जयपुर विकास प्राधिकरण

दिनांकः—20.04.2026

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम हरदत्तपुरा, पटवार हल्का खोराबीसल में खसरा नंबर 64/243 (रकबा 0.05 हेक्टेयर), 70/242 (0.22 हेक्टेयर), 71 (0.15 हेक्टेयर), 72 (1.85 हेक्टेयर), 73/240 (0.35 हेक्टेयर) कुल 5 खसरे कुल क्षेत्रफल 2.62 हेक्टेयर उनकी पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि है। इन खसरों के पूर्व की ओर खसरा नंबर 70/267 (रकबा 0.02 हेक्टेयर) स्थित है, जो गैर मुमकिन रास्ता के रूप में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के नाम दर्ज है । प्रार्थीगण का आरोप है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने JDA के स्वामित्व वाले खसरा नंबर 70/267 पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है । दिनांक 17 जुलाई 2025 को JDA की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान अप्रार्थीगण ने जेसीबी मशीन लाकर बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नंबर 71 में जबरन प्रवेश किया, फसल नष्ट की और रास्ते की लकीर कर दी । प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाए कि वे उनकी खातेदारी भूमि पर विधि विरुद्ध रास्ता न निकालें, व्यवधान उत्पन्न न करें और खसरा नंबर 70/267 में से होकर ही आवागमन करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र , अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के जवाब ,अप्रार्थी संख्या 18 (जे.डी.ए.) के जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण (संख्या 1 से 4) का जवाब अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थीगण के कथनों को असत्य व निराधार बताया है । अप्रार्थीगण का मुख्य बचाव यह है कि राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के रिकॉर्ड ऑनलाइन करते समय JDA के रास्ते (खसरा 70/267) का रकबा नक्शे में बढ़ा दिया है । इसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 70 (रकबा 0.51 हेक्टेयर) का रकबा नक्शे में कम कर दिया गया है । अप्रार्थीगण का स्पष्ट कथन है कि वे अपनी भूमि

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

खसरा 70 पर पूर्ववत काबिज हैं और उन्होंने रास्ते (70/267) पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि प्रार्थीगण ही गलत नक्शे की आड़ में उनकी भूमि हड़पना चाहते हैं । अप्रार्थीगण के अनुसार, रास्ते की भूमि के कुछ भाग पर स्वयं प्रार्थीगण ने ही अतिक्रमण कर रखा है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण (अप्रार्थी संख्या 18) का जवाब जे.डी.ए. ने प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की है कि प्रार्थीगण ने जे.डी.ए. अधिनियम 1982 की धारा 79 के तहत अनिवार्य नोटिस दिए बिना यह वाद प्रस्तुत किया है, अतः यह पोषणीय नहीं है । जे.डी.ए. ने स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 70/267 (रकबा 0.02 हेक्टेयर) किस्म गैर मुमकिन रास्ता उनके स्वामित्व में दर्ज है । दिनांक 11.07.2025 को राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी, परंतु खसरा 70/267 पर स्थगन होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी । जे.डी.ए. का तर्क है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने का उन्हें कानूनी अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का हक नहीं है ।

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु विधि के तीन मूलभूत सिद्धांतों (प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति) के आधार पर पत्रावली का परीक्षण किया गयाः।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण (Prima Facie Case): पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी व दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण खसरा नंबर 64/243, 70/242, 71, 72 एवं 73/240 के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 खसरा नंबर 70 के खातेदार हैं तथा खसरा नंबर 70/267 गैर मुमकिन रास्ता जे.डी.ए. के नाम दर्ज है । प्रथम दृष्टया यह विवाद सीमाओं के निर्धारण (Demarcation) और नक्शे की त्रुटि के आरोपों से संबंधित प्रतीत होता है । चूँकि प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं, अतः अपनी खातेदारी भूमि को किसी भी अवैध हस्तक्षेप से बचाने का उनका प्रथम दृष्टया विधिक अधिकार बनता है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबदी, जमाबंदी जेडीए, पत्थरगढी रिपोर्ट दिनांक 07 एवं 8 जनवरी 1993 नक्शे के साथ, उपखण्ड अधिकारी आमेर निर्णय दिनांक 17 अक्टुबर 2000, संभागीय आयुक्त जयपुर निर्णय दिनांक 15 दिसंबर 2014, जयपुर विकास प्राधिकारण पत्र दिनांक 31

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

जुलाई 2018, तहसीलदार पत्र दिनांक 23 अगस्त 2018, फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29 अगस्त 2018, जेडीए यूओ नोट दिनांक 4 सितम्बर 2018, अतिक्रमण रिपोर्ट 31 अगस्त 2018, पिट सर्वे नक्शा से स्पस्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान करवा रखा है तथा प्रार्थी की आराजी में दौराने सैटलमेण्ट बंदोबस्त पूर्व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि रास्ते में दर्ज कर दिया गया जिसको न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 17 अक्टुबर 2000 दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 71 में जो गैर मुमकिन रास्ता 0.15 हैक्टेयर दर्ज किया गया है उसे दुरूस्त किया जा कर साबिक खसर नम्बर 9 वर्तमान खसरा नम्बर 70/267 रास्ता सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये गये है। तथा उक्त आदेश की अपील संभागीय आयुक्त जयपुर ने भी उपखण्ड अधिकारी आमेर का आदेश यथावत रखा है। अर्थात प्रार्थी की आराजी में किसी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज नही है। उक्त रिकॉडेर्ड खातेदार काश्तकार की आराजी में से अप्रार्थीगण जबरन रास्ता निकालते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है इसलिए प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

2. सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience): दोनों पक्षों ने एक–दूसरे पर अतिक्रमण और गलत नक्शे का लाभ उठाने का आरोप लगाया है । चूँकि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है और खसरा 71 में फसल नष्ट करने के आरोप लगाए गए हैं, सुविधा का संतुलन इस बात में निहित है कि जब तक मूल वाद का अंतिम निस्तारण न हो जाए, तब तक मौके पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखी जाए।
3. अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss): यदि स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाता है और अप्रार्थीगण द्वारा बलपूर्वक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जेसीबी चलाकर या अन्य तरीके से जबरन रास्ता निकाला जाता है या फसल नष्ट की जाती है, तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई केवल हर्जाने से संभव नहीं है।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

:: अंतिम आदेश ::

उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक निम्न आदेश पारित किये जाते हैं, अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों (प्रार्थीगण के खसरा नं. 64 / 243, 70 / 242, 71, 72, 73 / 240) पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की भौतिक यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखेंगे। अप्रार्थीगण, कानून की उचित प्रक्रिया (Due process of law) अपनाए बिना, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में बलपूर्वक प्रवेश नहीं करेगा, न ही फसल या मेड़बंदी को नुकसान पहुंचाएगा और न ही जबरन कोई नया रास्ता कायम करेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण (अप्रार्थी संख्या 18) एवं तहसीलदार को खसरा नंबर 70 / 267 (गैर मुमकिन रास्ता) भूमि से विधि सम्मत तरीके से अतिक्रमण हटाने या पैमाइश (सीमाज्ञान) करने की वैधानिक कार्यवाही से नहीं रोकेगा। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा तदनुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर